



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 351 राँची, मंगलवार,

4 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-113/2017-6260 (HRMS)--सुश्री प्रीति सिन्हा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में सुश्री सिन्हा के विरुद्ध मनरेगा योजनाओं में प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 19 मानव दिवस के सृजन करने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 507 के विरुद्ध मात्र 81 डोभा का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने, मात्र 28% जाँब कार्ड का सत्यापन करवाने, विभागीय निर्देश के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लंबित योजनाओं को पूर्ण नहीं करवाने, मनरेगा अंतर्गत कुल 13% विलम्बित (delay payment) भुगतान का मामला रहने एवं मात्र 6% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10022, दिनांक 20.09.2017 द्वारा सुश्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक 11.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

सुश्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3480, दिनांक 24.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-97/स्था0, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें सुश्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

सुश्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.04.2017 को Video Conferencing के माध्यम से दिये गये निर्देश के बावजूद भी कटकमदाग प्रखण्ड में डोभा निर्माण का कुल लक्ष्य 747 के विरुद्ध मात्र 274 डोभाओं में कार्य प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 11.08.2017 तक मात्र 151 डोभा का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करवाकर MIS में Close करने के निर्देश के बावजूद माह अगस्त, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक की कुल 280 योजनाएँ लम्बित थी एवं शत प्रतिशत योजनाओं का जियो टैगिंग के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 11.08.2017 तक सिर्फ 70% योजनाओं का ही जियो टैगिंग करवायी गई, जो सुश्री सिन्हा की उनके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए सुश्री प्रीति सिन्हा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग के विरुद्ध संकल्प सं0-1757(HRMS), दिनांक 15.04.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध सुश्री सिन्हा द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2703518, दिनांक 08.07.2019 एवं राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1721, दिनांक 17.07.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। सुश्री सिन्हा द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में अंकित किया गया कि दिनांक 20.04.2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेंसिंग की समीक्षा के दौरान कटकमदाग में प्रति पंचायत औसतन 100 मानव दिवस के विरुद्ध मात्र 19 मानव दिवस का सृजन हुआ था। कटकमदाग प्रखण्ड में जुलाई माह तक मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 39001 था, जिसके विरुद्ध जुलाई माह के 28 तारीख को कटकमदाग की उपलब्धि मानव दिवस सृजन में 39611 थी, जो निर्धारित लक्ष्य का 101% है।

सुश्री सिन्हा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि कटकमदाग प्रखण्ड में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 13 है एवं प्रति पंचायत प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस सृजन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 28.07.2017 तक की 119 दिनों की अवधि में कुल मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य 154700 होता है न कि मात्र 39001, जैसा कि सुश्री सिन्हा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुश्री सिन्हा द्वारा सिर्फ माह जुलाई, 2017 का मानव दिवस का लक्ष्य अंकित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 28.07.2017 तक 154700 लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 39611 मानव दिवस सृजित किया गया है, जो लक्ष्य का मात्र 25.6% होता है। अतः सुश्री सिन्हा का कथन कि उनके द्वारा

दिनांक 28.07.2017 तक निर्धारित लक्ष्य 101% उपलब्धि हासिल की गई है, मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सुश्री सिन्हा द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में वही तथ्य दोहराये गये हैं, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किये गये थे।

अतः, समीक्षोपरांत, सुश्री प्रीति सिन्हा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा समर्पित अपील/पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावात रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री प्रीति सिन्हा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sl No	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRITI SINHA 111001274224	सुश्री प्रीति सिन्हा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा समर्पित अपील/पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावात रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
